

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 121/2015

संस्थित दिनांक-20.01.2015

फाईलिंग नंबर-230303001082015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. जयवीरसिंह पुत्र रामप्रकाश यादव उम्र 28 साल  
निवासी नटरी थाना पण्डोखर जिला दतिया

-----उपस्थित अभियुक्त

2. राकेश पुत्र रामचरन मिर्धा  
निवासी पिपरौली थाना गोहद
2. पूरन पुत्र रामचरन मिर्धा  
निवासी पिपरौली थाना गोहद

-----फरार अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक  
आरोपी जयवीर द्वारा श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता

---:- निर्णय ---:-

(आज दिनांक 15.02.2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त जयवीर के विरूद्ध धारा 392 विकल्प में 394 सहपठित धारा-34 भा0द0वि0 एवं धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 09.05.14 को शाम 7.30 बजे सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच भारत पेट्रोल पंप के पास गजेन्द्र नेताडी का मकान भिण्ड रोड मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सह आरोपियों के साथ मिलकर परिवारी रामदयाल गुप्ता को बांये हाथ में चाकू मारकर स्वेच्छया उपहति पहुंचाकर उसका काले रंग का बैग जिसमें सतत्तर हजार रुपये, दो वहीखाते, एक टेलीफोन डायरी व कैल्युकुलेटर की लूट कारित की।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 09.05.14 के शाम 7.30 बजे गजेन्द्र नेताडी का मकान भिण्ड रोड ग्वालियर पर मध्यप्रदेश

शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। तथा यह भी निर्विवादित है कि प्रकरण में आरोपी राकेश मिर्धा एवं पूरन मिर्धा के विरुद्ध धारा-299 द0प्र0सं0 के अंतर्गत फरारी कार्यवाही कर उन्हें फरार घोषित किया गया है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी रामदयाल गुप्ता जो कि परचून में दलाली का काम करता है, दिनांक 09.05.14 को सुबह करीब 11.30 बजे ग्वालियर से गोहद तकादा कर रकम दुकानदारों से लेने आया था। वह गोहद और गोहद चौराहा के दुकानदारों से 57 हजार रुपये प्राप्त कर व 20 हजार रुपये उसके पास स्वयं के थे, उन्हें अपने बैग में रखकर गोहद चौराहा से शाम करीब सात बजे ऑटो क्रमांक-एम0पी0-30-आर-0313 में बैठा था। उसमें पूर्व से तीन महिलाएँ तथा एक आदमी और तीन चार बच्चे बैठे हुए थे जो ग्वालियर आ रहे थे। ऑटो में बैठा हुआ आदमी गोहद में सुनाहट की दुकान करता है जिसे वह शकल से जानता है। वह ऑटो ड्रायवर के बगल से बाईं ओर सीट पर बैठा था। करीब 7.30 बजे ऑटो ग्वालियर रोड पर भारत पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी एक मोटरसाईकिल पर तीन आदमी उनके ऑटो के पीछे से आये और उन्होंने ऑटो को रोका तो ड्रायवर ने ऑटो नहीं रोका। तब उन तीनों बदमाशों ने मोटरसाईकिल ऑटो के आगे लगा दी। और ऑटो को रोककर ड्रायवर में तीन चार चांटे मारे। वह ड्रायवर की सीट से उतरकर पीछे की ओर चला तभी एक बदमाश ने उसका बैग छीनने की कोशिश की। उसने बैग नहीं छोड़ा तभी दूसरे बदमाश ने उसके बांये हाथ में चाकू मार दिया और एक लंबे से बदमाश ने उसका बैग छीन लिया। एक बदमाश मोटरसाईकिल को चालू करके खड़ा रहा। बैग छीनने के बाद तीनों बदमाश गोहद चौराहा की ओर भाग गये। तीनों बदमाश पेन्ट बुशर्ट पहने थे और कपड़े से अपना मुंह बांधे थे। मोटरसाईकिल काले रंग की थी किस कंपनी की थी, उसे नहीं देख पाया। लूटे गये बैग के अंदर 77000/-रुपये नगदी, दो वहीखाते, एक टेलीफोन डायरी, एक कैल्युकुलेटर था। वह बदमाशों को सामने आने पर कद काटी से पहचान सकता है। घायल होने के बाद वह सीधे इलाज को ग्वालियर चला गया तथा दिनांक 10.05.14 को उसने थाना मालनपुर पर रिपोर्ट उपरोक्तानुसार की।

4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी मालनपुर को करने पर अप0क्र0-99/14 पर धारा-394 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान के दौरान जप्ती गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं कथन आदि की संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त जयवीर के विरुद्ध धारा-392 विकल्प में 394 सहपठित धारा-34 भा0द0वि0 एवं धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में

अभियुक्तगण ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपी की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपी जयवीर ने दिनांक 09.05.14 को शाम 7.30 बजे सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच भारत पेट्रोल पंप के पास गजेन्द्र नेताड़ी का मकान भिण्ड रोड मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सह आरोपियों के साथ मिलकर परिवादी रामदयाल गुप्ता को बांये हाथ में चाकू मारकर स्वेच्छया उपहति पहुंचाकर उसका काले रंग का बैग जिसमें सतत्तर हजार रुपये, दो वहीखाते, एक टेलीफोन डायरी व कैल्युकुलेटर की लूट कारित की?

**—::—निष्कर्ष के आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 1 का निराकरण**

7. परीक्षित साक्षियों में से घटना के आहत रामदयाल गुप्ता अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दतिया का रहने वाला है और किराने की दुकानों पर दलाली के रूप में कार्य करता है। करीब एक साल पहले भी गोहद के दुकानदारों से तकादे की रकम लेने आया था और तकादे की रकम लेकर ऑटो में बैठकर ग्वालियर जा रहा था। तब रास्ते में मालनपुर के पहले भारत पेट्रोल पंप के पास शाम के करीब साढ़े सात बजे एक मोटरसाईकिल पर तीन लोगों ने आकर उसके ऑटो को आगे जाकर रोक लिया था और मोटरसाईकिल पर बैठे बदमाशों ने उसके हाथ से सतत्तर हजार रुपये रखे हुए थैले को छीन लिया था जिसमें दो वही खाते, एक टेलीफोन डायरी, एक कैल्युकुलेटर भी था। थैला काले रंग का था। उसने विरोध किया था तो उसे एक आरोपी ने चाकू मारा था जो उसके बांये हाथ में कलाई में लगा था। उसका यह भी कहना है कि तीनों बदमाश जो मोटरसाईकिल पर आये थे वे कपड़े से मुंह बांधे हुए थे जिस कारण वह उन्हें देख नहीं पाया था इस तरह से उक्त साक्षी ने अपने साथ हुई लूट की घटना में एक बदमाश के द्वारा बांये हाथ की कलाई पर चाकू से चोटें पहुंचाई जाना बताया है जिसका समर्थन मुरारी गुप्ता अ0सा0-7 जो कि आहत का भांजा है, उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है।
8. चोट के संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की ओर से चिकित्सीय परीक्षण करने वाल डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0-5 को पेश किया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 10.05.14 को सी०एच०सी० गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मालनपुर के आरक्षक भानूप्रताप द्वारा आहत रामदयाल गुप्ता को मेडिकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसकी चोटों का परीक्षण करते हुए प्र०पी०-3 की मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार करना बताया है और यह कहा है कि आहत रामदयाल की बाईं कलाई पर टांके लगा हुआ घाव उपस्थित था। घाव में चार टांके लगे थे जिसके संबंध में चिकित्सीय राय में यह व्यक्त किया गया है कि उक्त चोट साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण करने के समय

से 12 से 36 घण्टे के भीतर की थी लेकिन उक्त चोट किस प्रकार के हथियार से पहुंचाई जा सकती है यह वह नहीं बता सकता है क्योंकि घाव पर टांके लगे हुए थे।

9. अ0सा0-5 के द्वारा दी गई मेडिको लीगल रिपोर्ट प्र0पी0-3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आहत रामदयाल का मेडिकल परीक्षण दिनांक 10.05.14 के शाम 8.45 बजे हुआ था और चिकित्सीय राय मुताबिक चोट की जो समयावधि आंकलित होती है वह दिनांक 08.05.14 के शाम 8.45 बजे से लेकर 10.05.14 की शाम 8.45 बजे के दरम्यान की आंकलित होती है। जबकि प्र0पी0-6 की एफ0आई0आर0 मुताबिक घटना 09.05.14 के शाम 7.30 बजे की बताई गई है। चोट बताई गई घटना के समय की तो संभव है किन्तु साधारण प्रकृति की है और किस हथियार से पहुंचाई जा सकती है, इस बारे में चिकित्सक की स्पष्ट राय नहीं आई है। कथानक में चाकू से मारना बताया गया है। आहत रामदयाल के द्वारा चोट के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि उसने प्राथमिक उपचार कहाँ करवाया, टांके कहाँ लगवाये न ही प्र0पी0-3 की एम0एल0सी0 में कोई उल्लेख किया है कि आहत के द्वारा चोट के बारे में कोई इतिहास बताया गया था या नहीं। मुरारी गुप्ता अ0सा0-7 ने अवश्य आहत का इलाज जे0ए0एच0 ग्वालियर में होना बताया है किन्तु उसका कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है और डॉ0 आलोक शर्मा के द्वारा टांके हटाकर चोट की प्रकृति नहीं देखी गई है। ऐसे में चोट के बारे में चिकित्सीय साक्ष्य साधारण स्वरूप की है और उसका महत्व तभी रहेगा जबकि अन्य बिन्दु भी प्रमाणित हों। बचाव पक्ष की ओर से तर्कों में घटना की एफ0आई0आर0 ही विलंबित बताई गई है। ऐसे में लूट की मूल घटना के संबंध में आई साक्ष्य यदि सुसंगत पाई जाती है तब चिकित्सीय साक्ष्य का कोई महत्व रहेगा अन्यथा नहीं।

10. लूट की घटना के संबंध में आहत रामदयाल अ0सा0-6 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण की पहचान नहीं की गई है और यह कहा गया है कि घटना के समय अंधेरा था, लूट करने वाले मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे और उसने क्षणिक ही देख पाया था इसलिये वह नहीं पहचान सकता है कि विचाराधीन आरोपी लूट करने वालों में शामिल था या नहीं था और उससे पुलिस ने थाने में ही पहचान कराई थी जो घटना के आठ दस दिन बाद कराई गई थी तब वह पहचान नहीं पाया था। उसने लुटेरों की कोई विशेष पहचान रिपोर्ट या बयान में नहीं लिखाई थी। वस्तुओं की पहचान वह अवश्य करना कहता है जिसमें घटना के आठ दस दिन बाद पुलिस द्वारा थाने पर लूटे गये सामान में से वहीखाता, टेलीफोन डायरी व कैल्युकुलेटर कही पहचान करना वह कहता है। रुपयों और चाकू की पहचान से इन्कार करता है तथा प्र0पी0-6 के शिनाख्ती पंचनामा पर वह थाने पर पहचान करते हुए हस्ताक्षर बताता है। जबकि प्र0पी0-6 की शिनाख्ती की कार्यवाही सरपंच ग्राम पंचायत सिंघवारी के द्वारा पंचायत भवन में दिनांक 29.01.15 को कराई जाना बताया है जिसमें छूकर ग्यारह हजार रुपये, कैल्युकुलेटर, टेलीफोन डायरी व चाकू सभी की पहचान की जाना बताई गई है जिसका पूर्णतः समर्थन रामदयाल गुप्ता अ0सा0-6 के द्वारा किया गया है।

11. शिनाख्ती पंचनामा के अन्य साक्षी पिण्टू शर्मा अ0सा0-9 के रूप में परीक्षित हुआ है और उसने शिनाख्ती के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। शिनाख्ती कराने वाले सरपंच को पेश नहीं किया गया है इसलिये प्र0पी0-6 का



शिनाख्ती पंचनामा प्रमाणित नहीं होता है तथा शिनाख्ती की गई वस्तुएँ टेलीफोन डायरी, कैल्युकुलेटर, चाकू व रुपये आदि साक्ष्य के दौरान अभियोजन द्वारा पेश नहीं किये गये।

12. फरियादी रामदयाल अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना की थाना मालनपुर पर प्र0पी0-4 की एफ0आई0आर0 दर्ज कराना और उसकी निशादेही पर पुलिस द्वारा प्र0पी0-5 का नक्शामौका तैयार करना बताया है जो कार्यवाही घटना के विवेचक निरीक्षक शेरसिंह अ0सा0-12 ने करना कही है। किन्तु दोनों ही साक्षियों से घटना के विलंबित होने के संबंध में प्रश्न प्रतिपरीक्षा में नहीं किये गये हैं। तर्कों के माध्यम से ही इस संबंध में आपत्ति उठाई गई है।
13. एफ0आई0आर0 के विलंबित होने के बिन्दु के संदर्भ में प्र0पी0-4 की एफ0आई0आर0 को देखा जाये तो उसके कॉलम नंबर-8 में विलंब का कारण आहत के चोट होने और इलाज कराने की वजह से विलंब होना बताया है तथा एफ0आई0आर0 मुताबिक घटना दिनांक 09.05.14 के शाम साढ़े सात बजे की है और रिपोर्ट अगले दिन 10.05.14 के शाम सात बजे लिखाई गई है। आहत ग्वालियर का हाल निवासी बताया गया है उसके बांये हाथ की कलाई पर पाई गई चोट साधारण प्रकृति की बताई गई है। ऐसे में चोट और उपचार विलंब का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी चोटें नहीं थीं जिससे फरियादी रिपोर्ट नहीं कर सकता हो। फरियादी के कहीं भर्ती होने का भी प्रमाण नहीं है इसलिये एफ0आई0आर0 जो कि साढ़े तेईस घण्टे विलंब की है उसका कोई संतोषप्रद कारण अभिलेख पर नहीं है जो संदेह उत्पन्न करती है तथा प्रकरण में एफ0आई0आर0 मुताबिक फरियादी द्वारा बदमाशों को सामने आने पर कद काठी से पहचान सकना बताया गया था। लेकिन विवेचना में आरोपीगण की कोई पहचान की कार्यवाही निरीक्षक शेरसिंह अ0सा0-12 के द्वारा नहीं कराई गई है। मात्र जप्त मुद्देमाल की पहचान की कार्यवाही ही कराई गई जिसके बारे में फरियादी का कथन अस्पष्ट है और अस्थिरतापूर्ण है। ऐसे मामले में जबकि रिपोर्ट अज्ञात में थी, पकड़े गये बदमाशों की पहचान परेड धारा-9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विवेचन के दौरान नियमानुसार कराई जाना आवश्यक थी जिसके अभाव में भी घटना संदिग्ध हो जाती है।
14. अन्य परीक्षित साक्षियों में से विनोद अ0सा0-2, धर्मेन्द्र गुप्ता अ0सा0-3, ललित सोनी अ0सा0-8, बसंत कुमार अ0सा0-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बिन्दु पर तो एकसमान साक्ष्य दी है कि फरियादी रामदयाल गुप्ता को वे जानते हैं, जो किराने की दलाली करता है और घटना दिनांक को रामदयाल उनकी दुकानों पर गया था और उनसे तकादे के रुपये भी लिये गये थे जिनमें विनोद अ0सा0-2 3000/- रुपये, धर्मेन्द्र गुप्ता अ0सा0-3 33,880/-रुपये, ललित सोनी 1000/- रुपये और बसंत कुमार 10500/-रुपये तकादे के रामदयाल गुप्ता को देना बताते हैं जिन्होंने यह भी कहा है कि रुपये लेकर रामदयाल चले गये थे। उनमें से केवल बसंतकुमार अ0सा0-10 ने ही यह कहा है कि घटना के अगले दिन रामदयाल ने उसे यह जानकारी दी थी कि उसके साथ रास्ते में लूट हो गई है लेकिन कितने रुपये की लूट हुई, यह उसे पता नहीं है। घटना वाले दिन रामदयाल बस से आया था।
15. उपरोक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य से इस बात की पुष्टि तो होती है कि फरियादी रामदयाल गुप्ता अ0सा0-6 किराने के सामान की सप्लाई कर दलाली

का व्यवसाय करता था और गोहद व गोहद चौराहा पर किराने का सामान उधार में देता था और बाद में पैसे ले जाता था तथा घटना वाले दिन भी तकादा कर रुपये लेकर गया था। लेकिन उपरोक्त साक्षियों में से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि रामदयाल ऑटो से ग्वालियर रुपये लेकर गया था।

16. अभियोजन के कथानक में मूल घटना उस समय की बताई गई है जबकि रामदयाल ऑटो क्रमांक-एम0पी0-30-आर-0313 जिसमें कि अन्य सवारियों में तीन महिलाएँ, 3-4 बच्चे, एक आदमी बैठकर ग्वालियर जा रहे थे, उसमें वह बैठकर गया था किन्तु सवारी के रूप में बैठे व्यक्तियों में से कोई भी अभियोजन के प्रकरण में साक्षी नहीं है। न ही इस आशय की साक्ष्य आई है कि घटना वाले दिन उक्त ऑटो क्रमांक-एम0पी0-30 आर-0313 को कौन चालक चला रहा था, ऑटो का कौन मालिक था, उनमें से किसी को गवाह नहीं बनाया गया है न ही फरियादी रामदयाल ने इस संबंध में कुछ स्पष्ट किया है कि वह किसके ऑटो या किसके ऑटो से बैठकर जा रहा था, जैसा कि कथानक में बताया गया है, यह भी संदेह उत्पन्न करता है।
17. प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में से मलखान अ0सा0-1 को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है जिसके द्वारा कथानक में यह बताया गया था कि पूरन मिर्धा उसका पुराना मित्र है और पूरन मिर्धा, राकेश मिर्धा एवं उनके साथी जयवीरसिंह यादव निवासी नटरा दतिया ने मिलकर सरपंच की कोठी के पास भिण्ड रोड़ मालनपुर पर एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठे बनिया को लूटा था। किन्तु मलखान अ0सा0-1 ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी जयवीर को पहचानने से ही इन्कार कर दिया है। इस बात से भी इन्कार किया है कि पूरन मिर्धा, और राकेश मिर्धा को भी वह जानता है तथा पूरन उसका पुराना मित्र है और इस बात से भी इन्कार किया है कि पूरन, राकेश व जयवीर ने मिलकर सरपंच की कोठी के पास भिण्ड ग्वालियर मालनपुर में एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठे बनिया को लूटा था। इस प्रकार से उक्त साक्षी ने अभियोजन के कथानक का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है और वह पूर्णतः पक्ष विरोधी है। पूछे गये सूचक प्रश्नों में उसने प्र0पी0-1 का पुलिस को कथन देने से भी इन्कार किया है और उसके अभिसाक्ष्य में अभियोजन के किसी भी बिन्दु का समर्थन नहीं हुआ है। अभिलेख पर अन्य कोई भी ऐसी साक्ष्य नहीं है जो कि घटना की पुष्टि करती हो।
18. घटना के विवेचक निरीक्षक शेरसिंह अ0सा0-12 ने अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी रामदयाल गुप्ता की रिपोर्ट पर से प्र0पी0-4 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करना, उसकी निशादेही पर प्र0पी0-5 का नक्शामौका बनाना तथा साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना बताया है। इसके अलावा विवेचना के दौरान दिनांक 26.09.14 को मुखबिर की सूचना पर से आरोपी रामवीर को प्र0पी0-7 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तारी करना और पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ करने पर बताई गई जानकारी के आधार पर प्र0पी0-8 का धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना बताया है तथा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी जयवीर के मालनपुर स्थित कमरे से प्र0पी0-9 के जप्ती पत्रक मुताबिक 11000/-रुपये नगद, एक कैल्युकुलेटर, एक टेलीफोन डायरी, एक चाकू जिसके फल की लंबाई पांच इंच है, को जप्त करना कहा है किन्तु उक्त विवेचक की कार्यवाही का समर्थन प्र0पी0-8

व 9 के संबंध में अभिलेख पर नहीं है।

19. प्र०पी०-7 लगायत 9 के पंच साक्षी पिण्टू एवं बल्लू बताये गये हैं जिनमें केवल पिण्टू को अ०सा०-9 के रूप में पेश किया गया है, बल्लू को पेश नहीं किया गया है और पिण्टू अ०सा०-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी जयवीर को पहचानते हुए उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने का तो समर्थन किया है किन्तु उसके द्वारा कोई जानकारी किसी वस्तु के संबंध में पुलिस को दी जाने, तथा जानकारी के आधार पर कोई वस्तु जप्त होने से इन्कार करते हुए इस बात से भी इन्कार किया है कि जयवीर ने पुलिस को उसके सामने लूट की राशि में से प्राप्त 25000/-रुपये में से 14000/-रुपये खर्च हो जाना तथा 11000/-रुपये, चाकू, टैलीफोन डायरी, कैल्युकुलेटर अपने कमरे में रखना व बरामद कराना बताया था तथा उसके सामने उक्त रुपये व वस्तुओं की जप्ती की गई थी। उक्त साक्षी कक्षा-12 तक पढ़ा हुआ है और वह यह जानता है कि किसी भी कागज पर हस्ताक्षर पढ़कर करना चाहिए। किन्तु उसने यह कहा है कि पुलिस ने उसके कागजों को पढ़ने नहीं दिया था। इस तरह से महत्वपूर्ण दस्तावेज प्र०पी०-8 का मेमोरेण्डम कथन और प्र०पी०-9 का जप्ती पत्र के बारे में उक्त साक्षी पक्ष विरोधी होकर कोई समर्थन नहीं करता है।
20. इस संबंध में यदि विवेचक के कथन को भी देखा जाये तो जो वस्तुएँ बरामद होना बताई गई हैं उनमें से रुपये के अलावा कैल्युकुलेटर मूल्यवान वस्तु मानी जा सकती है किन्तु टैलीफोन डायरी और चाकू ऐसी वस्तुएँ हैं जिसे कोई भी अपराधी अपनी अभिरक्षा में स्वाभाविक तौर पर नहीं रखेगा। क्योंकि टैलीफोन डायरी से अपराधी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्र०पी०-8 व 9 का पंच साक्षियों से समर्थन न होने से विवेचक शेरसिंह अ०सा०-12 के अभिसाक्ष्य के आधार पर उन्हें प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
21. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्र०पी०-9 के जप्ती पत्रक मुताबिक वस्तुएँ और रुपये दिनांक 26.09.14 को जप्त हो गये थे किन्तु उनकी शिनाख्ती की कार्यवाही विवेचना के दौरान प्र०पी०-6 मुताबिक दिनांक 19.01.15 को अर्थात् करीब पौने चार माह बाद कराई गई है जिसका कोई भी स्पष्टीकरण विवेचक द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसे में विवेचक शेरसिंह अ०सा०-12 के अभिसाक्ष्य के आधार पर लूट संबंधी कोई तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
22. उपनिरीक्षक महेन्द्रदेवसिंह सेंगर अ०सा०-11 ने आंशिक विवेचना में मुरारी गुप्ता व चन्द्रप्रकाश गुप्ता के कथन लेना कहे हैं तथा कथानक में चन्द्रप्रकाश फरियादी का पुत्र बताया गया है, जिसे साक्ष्य में अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है और मुरारी गुप्ता अ०सा०-7 के रूप में परीक्षित हुआ है लेकिन उसके अभिसाक्ष्य से केवल इस तथ्य की पुष्टि मात्र होती है कि दिनांक 09.05.14 को उसके मामा रामदयाल गुप्ता के साथ मालनपुर में लूट की घटना हो गयी थी जिसमें 77000/-रुपये, एक टैलीफोन डायरी, कैल्युकुलेटर जो एक बैग में थे, वह लूटे गये थे किन्तु लूट की घटना किसने की, इसके बारे में उसकी कोई साक्ष्य नहीं है न ही रामदयाल अ०सा०-6 के द्वारा आरोपी की कोई पहचान की गई है। इसलिये यह तो प्रमाणित होता है कि रामदयाल गुप्ता अ०सा०-6 के साथ दिनांक 09.05.14 को तकादा करके गोहद से लौटते समय मालनपुर में रास्ते में उसके आधिपत्य से एक बैग जिसमें 77000/-रुपये, कैल्युकुलेटर, टैलीफोन डायरी रखे हुए थे, वह लूटे गये और लूट की घटना उसके बाये हाथ की कलाई

में साधारण उपहति भी पहुंची। किन्तु लूट किसने की, किसने उपहति पहुंचाई, इसके बारे में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं आई है। आरोपी जयवीरसिंह यादव के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि वह उक्त कथित लूट की घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल था।

23. विवेचना के दौरान जिस काले रंग की मोटरसाईकिल से तीन बदमाशों का आकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, उसे तलाशने का कोई प्रयास नहीं किया गया। न ही ऐसी कोई साक्ष्य संकलित की गई कि जिससे यह पता चल सकता था कि लूट की घटना में उपयोग में लाये गये वाहन का का पंजीकृत स्वामी कौन है और उसके माध्यम से वास्तविक अपराधियों को तलाश जा सकता था। इस दृष्टि से भी विवेचक का कथन विश्वसनीय नहीं है। फलतः आरोपी जयवीरसिंह संदेह का लाभ पाने का पात्र है। फलतः आरोपी जयवीर को संदेह का लाभ दिया जाकर धारा 392 विकल्प में 394 सहपठित धारा-34 भा0द0वि0 एवं धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
24. आरोपी जयवीर निरोध में है अतः उसके जेल वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि आरोपी जयवीर को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में अविलंब रिहा किया जावे।
25. प्रकरण में अभी आरोपीगण राकेश मिर्धा एवं पूरन मिर्धा फरार हैं इसलिये जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है। अतः प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।
26. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 15.02.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड